

1971/14

23/2/21

पत्रावली पेश हुयी। वादी मम वकील  
वादी उपर। वादी ने अनुरोध किया की  
प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही  
चाहता हूँ न हि आगे चलना चाहता हूँ।  
वादी के अनुरोध पर वादपत्र विद्वा की  
अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर रेकम  
होकर दफतर दाखिल हो।

काना काम

23/2/21

23/2/21

23/2/21



(बृजेश कुमार)

सहायक कलक्टर (F.T)

नीमकाथाना (सीकर) राज.

